उर्वरकों का आयात करने वाली एजेंसियां

550. **श्री अजीत जोगी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन एजेंसियों द्वारा उर्वरकों का आयात किया जा रहा है, और

(ख) देश में इस समय उर्वरक इकाइयों की इकाईवार उत्पादन क्षमता तथा उर्वरकों के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) वर्तमान में यूरिया ही केवल मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत आता है तथा इसका आयात सरणीबद्ध है। यूरिया के आयात के लिए निम्नलिखित एजेंसिया प्राधिकृत हैं :-

(I) मैं0 एम0एम0 टी0सी0 लि0

(II) मै0 पाइराइट्स फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि0 (पी0पी0सी0एल0)

(III) मै0 नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 (एन0एफ0एल0)

(IV) मै0 स्टेट ट्रेडिंग कापोर्रेशन (एन0टी0सी0)

(V) मै0 इंडियन पोटाश लि0 (आई0पी0एल0)

अन्य सभी अनियंत्रित उर्वरकों का आयात मुक्त रूप से किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त में से, एन.एफ.एल. और पी.पी.सी.एल. केवल उर्वरक उत्पादक एकक हैं। उनकी स्थापित क्षमताओं के ब्यौरे विवरण – I में दिये गये हैं। (नीचे देखिए) इन सरणीबद्ध एजेंसियों द्वारा उर्वरकों के आयात और निर्यात के ब्यौरे विवरण – II में दिए गये हैं (नीचे देखिए)।

विवरण - I

1.1.1996 **तक स्थापित क्षमता**

संयंत्र का नाम	**उत्पाद का नाम**	**स्थापित क्षमता (मात्रा "000" मी0 टन)**
एन एफ एल :		
नांगल - I	सी.ए.एन.	320.0
नांगल - II	यूरिया	330.0
भटिडा	यूरिया	511.5
पानीपत	यूरिया	511.5
विजयपुर	यूरिया	726.9
	योग	2399.0
पी0पी0सी0एल0	एस0एस0पी0	264.0

विवरण - II

सारणी एजेसियों द्वारा उर्वरकों के आयात और निर्यात के ब्यौरे

(**मी0 टनों में**)

	1994-95		1995-96 (**अप्रैल**, 95 **से जनवरी**, 96)	
	आयात	**निर्यात**	**आयात**	**निर्यात**
एम.एम.टी.सी.				
यूरिया	28,70,000	-	24,32,791	-
डी.ए.पी.	28,800	-	2,22,373	20,000
एम.ओ.पी.	1,57,445	-	1,45,346	-
एस. एस. पी.	-	3,059	-	1,656
आई.पी.एल.				
यूरिया	-	-	36,471	-
एम. ओ. पी.	10,05,170	-	8,68,272	-
डी.ए.पी.	1,22,686	-	2,70,482	-
पी.पी.सी.एल.				
यूरिया	-	-	3,42,820	-
एम.ओ.पी.	1,69,884	-	1,85,614	-
डी.ए.पी.	74,700	-	1,07,663	-
एस. एस. पी.	-	2,000	-	19,002
एन.एफ.एल.				
यूरिया	-	-	2,07,143	-
डी.ए.पी.	-	-	1,08,413	-
एस.टी.सी.				
यूरिया	-	-	2,44,029	-

जीवन रक्षक दवाओं का मूल्य निर्धारण

551. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य निर्धारण में वास्तविक उत्पादन लागत मूल्य, विपणन मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य

के बीच कितने प्रतिशत अन्तर रखने की अनुमति प्रदान की गई है,

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उस संबंध में कितने प्रतिशत अन्तर रखने की अनुमति दी गई है,

(ग) ग्लूकोज बोतलों के मूल्य निर्धारण में थोक एवं खुदरा मूल्यों में कितने प्रतिशत लाभ की छूट की अनुमति दी गई है, और